

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 18/04/2023

विषय:-

राँची विश्वविद्यालय, राँची को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रू0 1,98,96,74,000=00 (एक अरब अनठानवे करोड़ छियानवे लाख चौहत्तर हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 08/बजट दिनांक 17.04.2023 के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रू0 1,98,96,74,000=00 (एक अरब अनठानवे करोड़ छियानवे लाख चौहत्तर हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि से निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में अवर सचिव-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :-
2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालय को सहायता, 04-राँची विश्वविद्यालय, राँची, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) विपत्र कोड-21S22020310204000646

4. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

5. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

7. राशि की विमुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जा रही है -

(i) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(ii) विश्वविद्यालय नवांगीभूत महाविद्यालय के किसी ऐसे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से कार्य नहीं लेगा जिसका नाम अग्रवाल कमीशन अथवा एस0बी0सिन्हा कमीशन के प्रतिवेदन में सकारात्मक अनुशंसा के साथ नहीं है। अगर नियमित एवं अवैध रूप से किसी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से सेवा लिये जाने के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का भुगतान देय होता है तो इस अनियमित भुगतान का दायित्व विश्वविद्यालय के उपर होगा एवं विश्वविद्यालय से संबंधित पदाधिकारी/पदाधिकारियों के विरुद्ध झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम के संगत धाराओं के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

(iii) यदि कोई शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी अंगीभूत महाविद्यालय में प्रतिनियोजित है तो उनके वेतनादि का भुगतान उनके पैतृक महाविद्यालय से किया जायेगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा वेतन निर्धारण एवं प्रोन्नति हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियमन/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियमन/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा वेतन भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्यवाई की जायेगी।

(v) विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षक/पदाधिकारी/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को ही स्वीकृत राशि से भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम-341 एवं 342 के आलोक में महालेखाकार एवं विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें ताकि इसे महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा सके।

(vi) विश्वविद्यालय को स्पष्ट निदेश दिया जाता है कि वह वेतन मद की राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। राशि के विचलन होने पर संबंधित कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/वित्त परामर्शी की जबाबदेही होगी।

(vii) कोई विभाग/महाविद्यालय या संकाय में नामांकन एवं शिक्षण की दृष्टि से कोई भी पद अव्यवहार्य (Non viable) हो तो इसकी सूचना शीघ्र प्रशासी विभाग को दी जाए।

(viii) संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों हेतु स्वीकृत भत्तों का ही भुगतान किया जाय।

(ix) प्रत्येक माह के 1 तारीख को शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतनादि का भुगतान किया जाना विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 08/बजट दिनांक 17.04.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,


(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0) 32/बजट /रॉंची, दिनांक- 18/04/2023
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0) 32/बजट /रॉंची, दिनांक- 18/04/2023
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।





आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

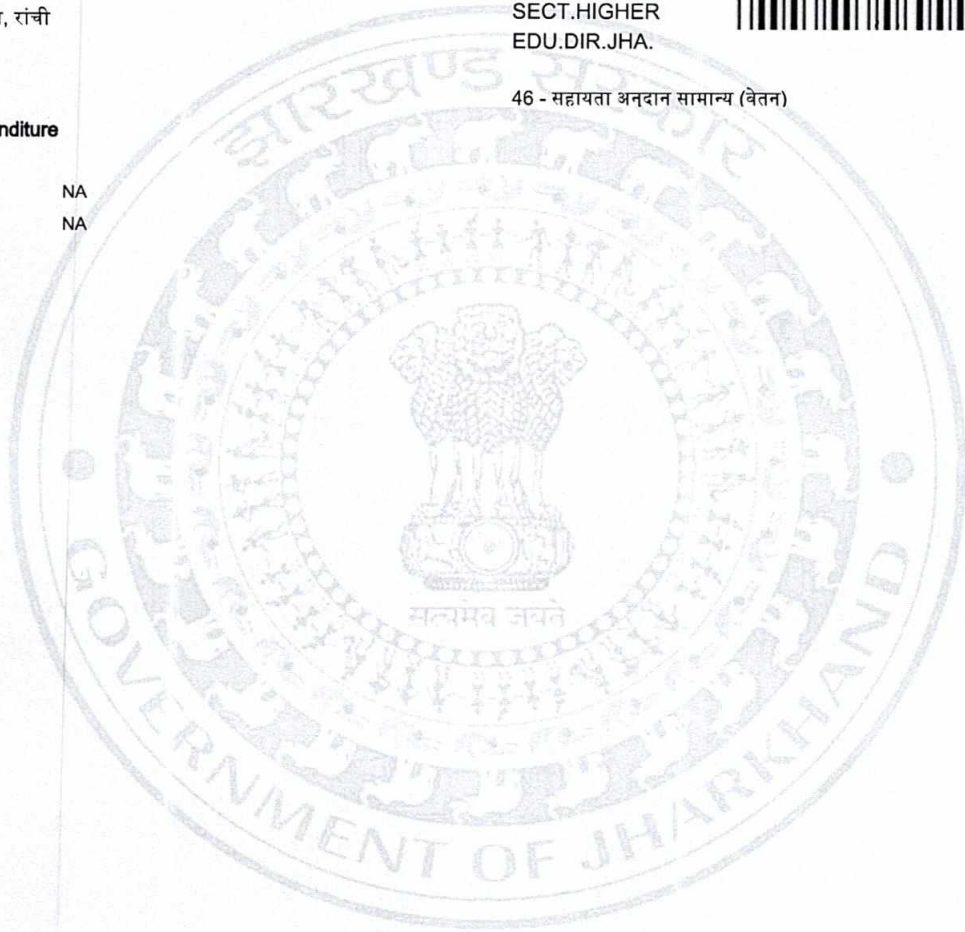
Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/ANU-01/2018/32/BUDGET

दिनांक - 18-Apr-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 22020310204000646 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता 04 - रांची विश्वविद्यालय, रांची 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	11492	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 46 - सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	1,989,674,000.00 रुपये एक अरब अठानवे करोड छयानवे लाख चौहत्तर हजार



योग:

रुपये एक अरब अठानवे करोड छयानवे लाख चौहत्तर हजार

1,989,674,000.00

क्रमिक योग:

(GARIMA SINGH)

DIRECTOR

33/que

झारखण्ड सरकार

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

18/04/2023/

डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में ₹0 15,76,32,000=00 (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 09/बजट दिनांक 17.04.2023 के आलोक में डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में ₹0 15,76,32,000=00 (पन्द्रह करोड़ छिहत्तर लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि से निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में अवर सचिव-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :-
2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालय को सहायता, BF-डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) विपत्र कोड-21S220203102BF000646

4. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

5. डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत रॉची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार द्वारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

7. राशि की विमुक्ति निम्न शक्तों के अधीन की जा रही है -

(i) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(ii) विश्वविद्यालय नवांगीभूत महाविद्यालय के किसी ऐसे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से कार्य नहीं लेगा जिसका नाम अग्रवाल कमीशन अथवा एस0बी0सिन्हा कमीशन के प्रतिवेदन में सकारात्मक अनुशंसा के साथ नहीं है। अगर नियमित एवं अवैध रूप से किसी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से सेवा लिये जाने के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का भुगतान देय होता है तो इस अनियमित भुगतान का दायित्व विश्वविद्यालय के उपर होगा एवं विश्वविद्यालय से संबंधित पदाधिकारी/पदाधिकारियों के विरुद्ध झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम के संगत धाराओं के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

Belut. 450.

(iii) यदि कोई शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी अंगीभूत महाविद्यालय में प्रतिनियोजित है तो उनके वेतनादि का भुगतान उनके पैतृक महाविद्यालय से किया जायेगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा वेतन निर्धारण एवं प्रोन्नति हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियमन/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियमन/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा वेतन भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्यवाई की जायेगी।

(v) विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षक/पदाधिकारी/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को ही स्वीकृत राशि से भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम-341 एवं 342 के आलोक में महालेखाकार एवं विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें ताकि इसे महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा सके।

(vi) विश्वविद्यालय को स्पष्ट निदेश दिया जाता है कि वह वेतन मद की राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। राशि के विचलन होने पर संबंधित कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/वित्त परामर्शी की जबाबदेही होगी।

(vii) कोई विभाग/महाविद्यालय या संकाय में नामांकन एवं शिक्षण की दृष्टि से कोई भी पद अव्यवहार्य (Non viable) हो तो इसकी सूचना शीघ्र प्रशासी विभाग को दी जाए।

(viii) संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों हेतु स्वीकृत भत्तों का ही भुगतान किया जाय।

(ix) प्रत्येक माह के 1 तारीख को शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतनादि का भुगतान किया जाना विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 09/बजट दिनांक 17.04.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,


(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0)...../रॉची, दिनांक-/2023
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

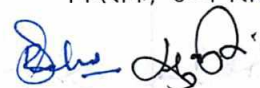

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0)...../रॉची, दिनांक-/2023
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।





आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

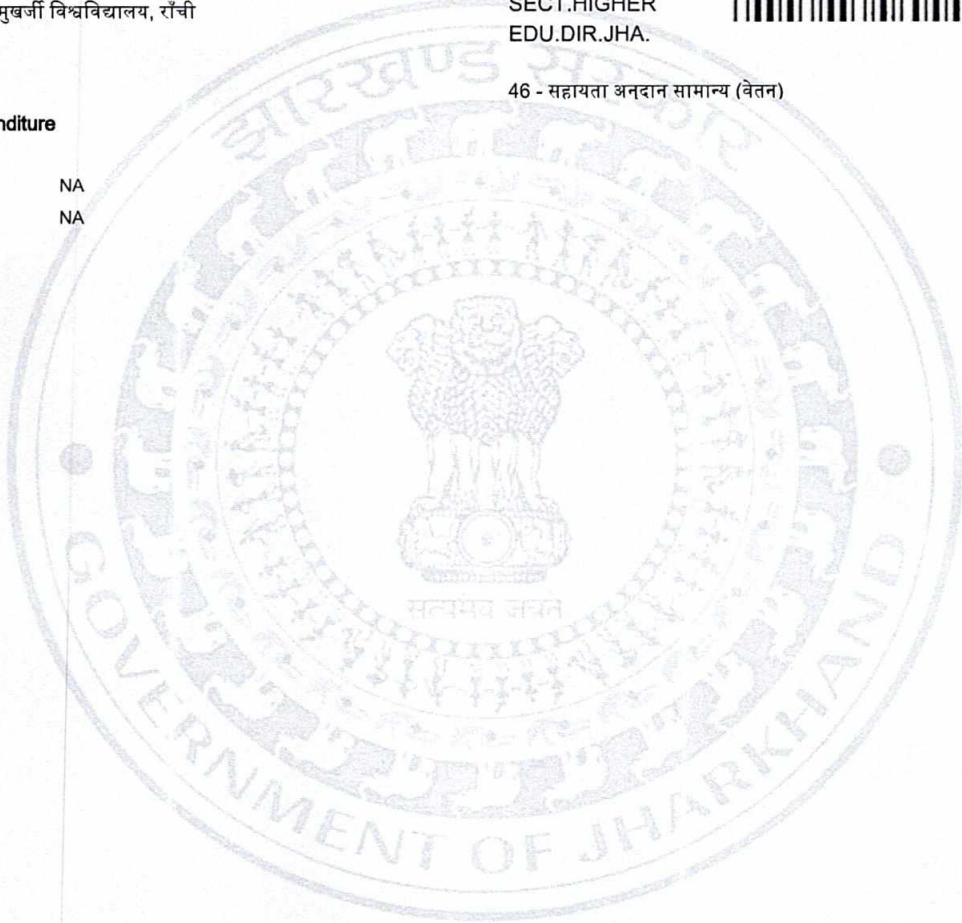
Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/ANU-01/2018/33/BUDGET

दिनांक - 18-Apr-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BF000646 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता BF - डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	11494	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 46 - सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	157,632,000.00 रुपये पंद्रह करोड छहत्तर लाख बत्तीस हजार



योग:

रुपये पंद्रह करोड छहत्तर लाख बत्तीस हजार

157,632,000.00

क्रमिक योग:

(GARIMA SINGH)
DIRECTOR

पत्रांक :-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0) 34/955

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 18/04/2023

विषय:-

विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रू0 1,00,14,97,000=00 (एक अरब चौदह लाख संतानवे हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 10/बजट दिनांक 17.04.2023 के आलोक में विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रू0 1,00,14,97,000=00 (एक अरब चौदह लाख संतानवे हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि से निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में अवर सचिव-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :-
2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालय को सहायता, 01- विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) विपत्र कोड-21S22020310201000646

4. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

5. विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत हजारीबाग कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

7. राशि की विमुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जा रही है -

(i) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(ii) विश्वविद्यालय नवांगीभूत महाविद्यालय के किसी ऐसे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से कार्य नहीं लेगा जिसका नाम अग्रवाल कमीशन अथवा एस0बी0सिन्हा कमीशन के प्रतिवेदन में सकारात्मक अनुशंसा के साथ नहीं है। अगर नियमित एवं अवैध रूप से किसी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से सेवा लिये जाने के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का भुगतान देय होता है तो इस अनियमित भुगतान का दायित्व विश्वविद्यालय के उपर होगा एवं विश्वविद्यालय से संबंधित पदाधिकारी/पदाधिकारियों के विरुद्ध झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम के संगत धाराओं के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

(iii) यदि कोई शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी अंगीभूत महाविद्यालय में प्रतिनियोजित है तो उनके वेतनादि का भुगतान उनके पैतृक महाविद्यालय से किया जायेगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा वेतन निर्धारण एवं प्रोन्नति हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियमन/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियमन/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा वेतन भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्रवाई की जायेगी।

(v) विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षक/पदाधिकारी/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को ही स्वीकृत राशि से भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम-341 एवं 342 के आलोक में महालेखाकार एवं विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें ताकि इसे महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा सके।

(vi) विश्वविद्यालय को स्पष्ट निदेश दिया जाता है कि वह वेतन मद की राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। राशि के विचलन होने पर संबंधित कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/वित्त परामर्शी की जबाबदेही होगी।

(vii) कोई विभाग/महाविद्यालय या संकाय में नामांकन एवं शिक्षण की दृष्टि से कोई भी पद अव्यवहार्य (Non viable) हो तो इसकी सूचना शीघ्र प्रशासी विभाग को दी जाए।

(viii) संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों हेतु स्वीकृत भत्तों का ही भुगतान किया जाय।

(ix) प्रत्येक माह के 1 तारीख को शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतनादि का भुगतान किया जाना विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 10/बजट दिनांक 17.04.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,


(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0) 34/बजट /रॉची, दिनांक- 18/04/2023

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गरिमा सिंह)

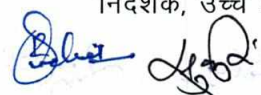
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0) 34/बजट /रॉची, दिनांक- 18/04/2023

प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।





आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

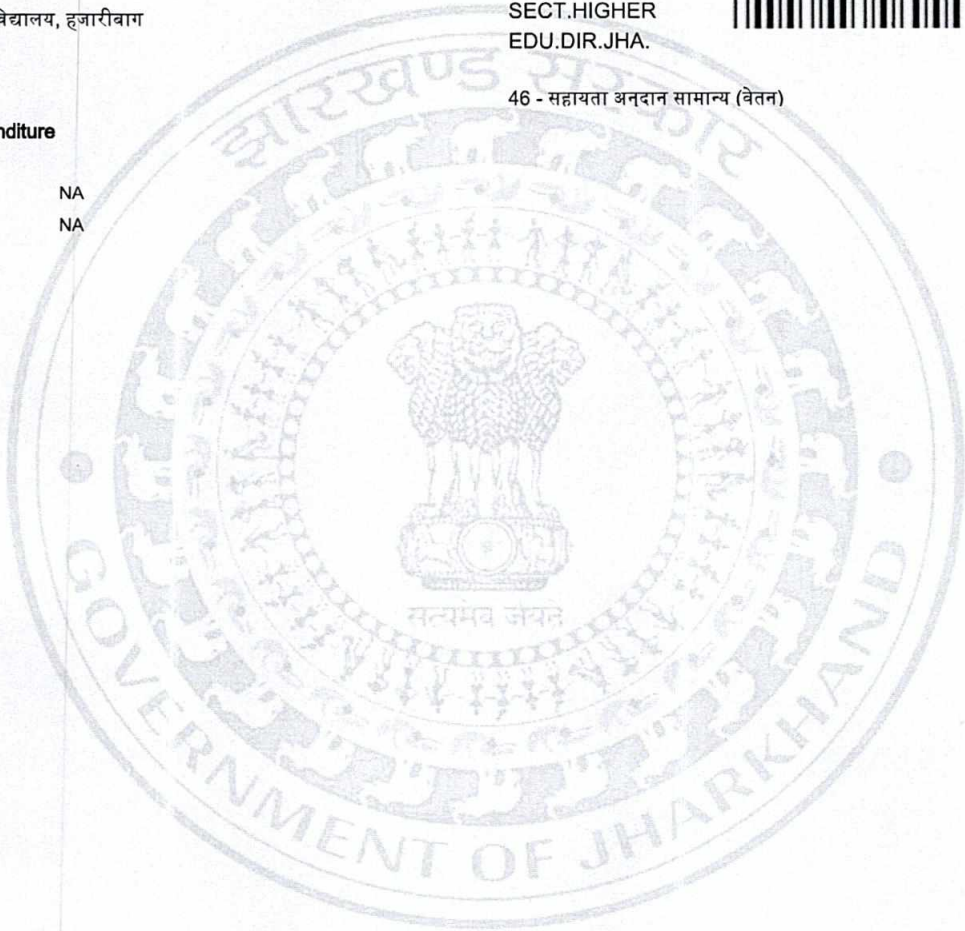
Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/ANU-01/2018/34/BUDGET

दिनांक - 18-Apr-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 22020310201000646 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता 01 - विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	11498	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 46 - सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	1,001,497,000.00 रुपये एक अरब चौदह लाख सित्तानवे हजार



योग:

रुपये एक अरब चौदह लाख सित्तानवे हजार

1,001,497,000.00

क्रमिक योग:

(GARIMA SINGH)

DIRECTOR

पत्रांक :-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0) 35/895/

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 18/04/2023

विषय:-

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रु0 75,00,00,000=00 (पचहत्तर करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 11/बजट दिनांक 17.04.2023 के आलोक में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रु0 75,00,00,000=00 (पचहत्तर करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि से निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में अवर सचिव-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :-
2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालय को सहायता, BD-बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)
विपत्र कोड-21S220203102BD000646

4. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

5. बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत धनबाद कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

7. राशि की विमुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जा रही है -

(i) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(ii) विश्वविद्यालय नवांगीभूत महाविद्यालय के किसी ऐसे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से कार्य नहीं लेगा जिसका नाम अग्रवाल कमीशन अथवा एस0बी0सिन्हा कमीशन के प्रतिवेदन में सकारात्मक अनुशंसा के साथ नहीं है। अगर नियमित एवं अवैध रूप से किसी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से सेवा लिये जाने के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का भुगतान देय होता है तो इस अनियमित भुगतान का दायित्व विश्वविद्यालय के उपर होगा एवं विश्वविद्यालय से संबंधित पदाधिकारी/पदाधिकारियों के विरुद्ध झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम के संगत धाराओं के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

(iii) यदि कोई शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी अंगीभूत महाविद्यालय में प्रतिनियोजित है तो उनके वेतनादि का भुगतान उनके पैतृक महाविद्यालय से किया जायेगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा वेतन निर्धारण एवं प्रोन्नति हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियमन/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियमन/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा वेतन भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्रवाई की जायेगी।

(v) विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षक/पदाधिकारी/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को ही स्वीकृत राशि से भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम-341 एवं 342 के आलोक में महालेखाकार एवं विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें ताकि इसे महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा सके।

(vi) विश्वविद्यालय को स्पष्ट निदेश दिया जाता है कि वह वेतन मद की राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। राशि के विचलन होने पर संबंधित कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/वित्त परामर्शी की जबाबदेही होगी।

(vii) कोई विभाग/महाविद्यालय या संकाय में नामांकन एवं शिक्षण की दृष्टि से कोई भी पद अव्यवहार्य (Non viable) हो तो इसकी सूचना शीघ्र प्रशासी विभाग को दी जाए।

(viii) संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों हेतु स्वीकृत भत्तों का ही भुगतान किया जाय।

(ix) प्रत्येक माह के 1 तारीख को शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतनादि का भुगतान किया जाना विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 11/बजट दिनांक 17.04.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0) 35/अप्र/रॉंची, दिनांक- 18/04/2023

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, झोरण्डा, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0) 35/अप्र/रॉंची, दिनांक- 18/04/2023

प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

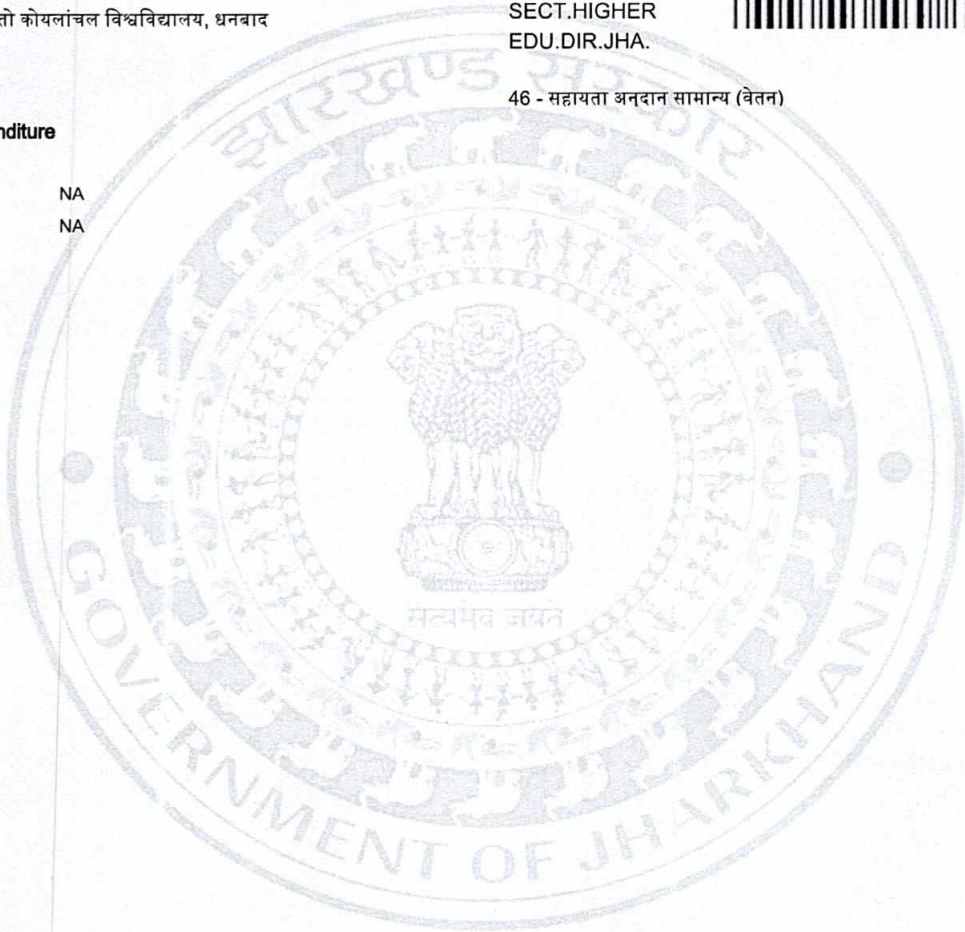
Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/ANU-01/2018/35/BUDGET

दिनांक - 18-Apr-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BD000646 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता BD - विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	11503	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 46 - सहायता अनुदान सामान्य (वित्तन)	750,000,000.00 रुपये पचहत्तर करोड



योग: रुपये पचहत्तर करोड

750,000,000.00

क्रमिक योग:

(GARMMA SINGH)
DIRECTOR

पत्रांक :-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0) 36/955

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 18/04/2023

विषय:-

सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रु0 85,75,44,000=00 (पचासी करोड़ पचहत्तर लाख चौवालीस हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृतादेश संख्या 12/बजट दिनांक 17.04.2023 के आलोक में सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रु0 85,75,44,000=00 (पचासी करोड़ पचहत्तर लाख चौवालीस हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि से निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में अवर सचिव-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :- 2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालय को सहायता, 02-सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) विपत्र कोड-21S22020310202000646

4. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

5. सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत दुमका कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

7. राशि की विमुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जा रही है -

(i) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(ii) विश्वविद्यालय नवांगीभूत महाविद्यालय के किसी ऐसे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से कार्य नहीं लेगा जिसका नाम अग्रवाल कमीशन अथवा एस0बी0सिन्हा कमीशन के प्रतिवेदन में सकारात्मक अनुशंसा के साथ नहीं है। अगर नियमित एवं अवैध रूप से किसी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से सेवा लिये जाने के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का भुगतान देय होता है तो इस अनियमित भुगतान का दायित्व विश्वविद्यालय के उपर होगा एवं विश्वविद्यालय से संबंधित पदाधिकारी/पदाधिकारियों के विरुद्ध झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम के संगत धाराओं के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।





(iii) यदि कोई शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी अंगीभूत महाविद्यालय में प्रतिनियोजित है तो उनके वेतनादि का भुगतान उनके पैतृक महाविद्यालय से किया जायेगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा वेतन निर्धारण एवं प्रोन्नति हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियमन/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियमन/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा वेतन भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्रवाई की जायेगी।

(v) विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षक/पदाधिकारी/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को ही स्वीकृत राशि से भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम-341 एवं 342 के आलोक में महालेखाकार एवं विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें ताकि इसे महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा सके।

(vi) विश्वविद्यालय को स्पष्ट निदेश दिया जाता है कि वह वेतन मद की राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। राशि के विचलन होने पर संबंधित कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/वित्त परामर्शी की जबाबदेही होगी।

(vii) कोई विभाग/महाविद्यालय या संकाय में नामांकन एवं शिक्षण की दृष्टि से कोई भी पद अव्यवहार्य (Non viable) हो तो इसकी सूचना शीघ्र प्रशासी विभाग को दी जाए।

(viii) संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों हेतु स्वीकृत भत्तों का ही भुगतान किया जाय।

(ix) प्रत्येक माह के 1 तारीख को शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतनादि का भुगतान किया जाना विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 12/बजट दिनांक 17.04.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0) 36/अप्ट /रॉची, दिनांक- 18/04/2023

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0) 36/अप्ट /रॉची, दिनांक- 18/04/2023

प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, सिदों कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

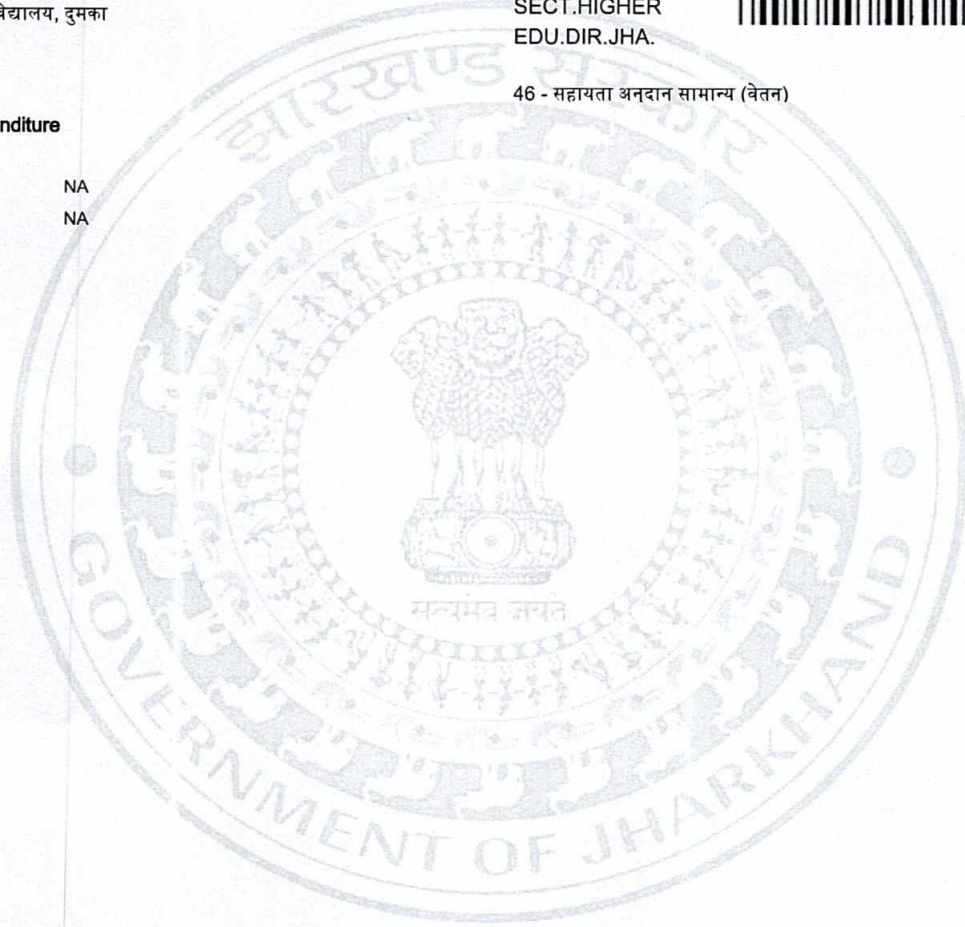
Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/ANU-01/2018/36/BUDGET

दिनांक - 18-Apr-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 22020310202000646 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता 02 - सिद्धु कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	11510	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 46 - सहायता अनुदान सामान्य (वित्त)	857,544,000.00 रुपये पचयासी करोड पचहत्तर लाख चवालीस हजार



योग:

रुपये पचयासी करोड पचहत्तर लाख चवालीस हजार

857,544,000.00

क्रमिक योग:

(GARIMA SINGH)

DIRECTOR

पत्रांक :-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0) 37/945/

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 18/04/2023

विषय:-

नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रू0 39,60,78,000=00 (उनचालीस करोड़ साठ लाख अठहत्तर हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 13/बजट दिनांक 17.04.2023 के आलोक में नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रू0 39,60,78,000=00 (उनचालीस करोड़ साठ लाख अठहत्तर हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि से निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में अवर सचिव-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :-
2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालय को सहायता, 10- नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) विपत्र कोड-21S22020310210000646

4. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

5. नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत पलामू कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

7. राशि की विमुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जा रही है -

(i) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(ii) विश्वविद्यालय नवांगीभूत महाविद्यालय के किसी ऐसे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से कार्य नहीं लेगा जिसका नाम अग्रवाल कमीशन अथवा एस0बी0सिन्हा कमीशन के प्रतिवेदन में सकारात्मक अनुशंसा के साथ नहीं है। अगर नियमित एवं अवैध रूप से किसी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से सेवा लिये जाने के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का भुगतान देय होता है तो इस अनियमित भुगतान का दायित्व विश्वविद्यालय के उपर होगा एवं विश्वविद्यालय से संबंधित पदाधिकारी/पदाधिकारियों के विरुद्ध झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम के संगत धाराओं के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

(iii) यदि कोई शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी अंगीभूत महाविद्यालय में प्रतिनियोजित है तो उनके वेतनादि का भुगतान उनके पैतृक महाविद्यालय से किया जायेगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा वेतन निर्धारण एवं प्रोन्नति हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियमन/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियमन/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा वेतन भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्यवाई की जायेगी।

(v) विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षक/पदाधिकारी/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को ही स्वीकृत राशि से भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम-341 एवं 342 के आलोक में महालेखाकार एवं विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें ताकि इसे महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा सके।

(vi) विश्वविद्यालय को स्पष्ट निदेश दिया जाता है कि वह वेतन मद की राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। राशि के विचलन होने पर संबंधित कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/वित्त परामर्शी की जबाबदेही होगी।

(vii) कोई विभाग/महाविद्यालय या संकाय में नामांकन एवं शिक्षण की दृष्टि से कोई भी पद अव्यवहार्य (Non viable) हो तो इसकी सूचना शीघ्र प्रशासी विभाग को दी जाए।

(viii) संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों हेतु स्वीकृत भत्तों का ही भुगतान किया जाय।

(ix) प्रत्येक माह के 1 तारीख को शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतनादि का भुगतान किया जाना विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 13/बजट दिनांक 17.04.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

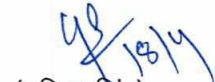
11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,


(गरिमा सिंह)

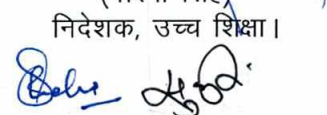
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0) 37/945 /रॉची, दिनांक- 18/04/2023
प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0) 37/945 /रॉची, दिनांक- 18/04/2023
प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गरिमा सिंह)
निदेशक, उच्च शिक्षा।




आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

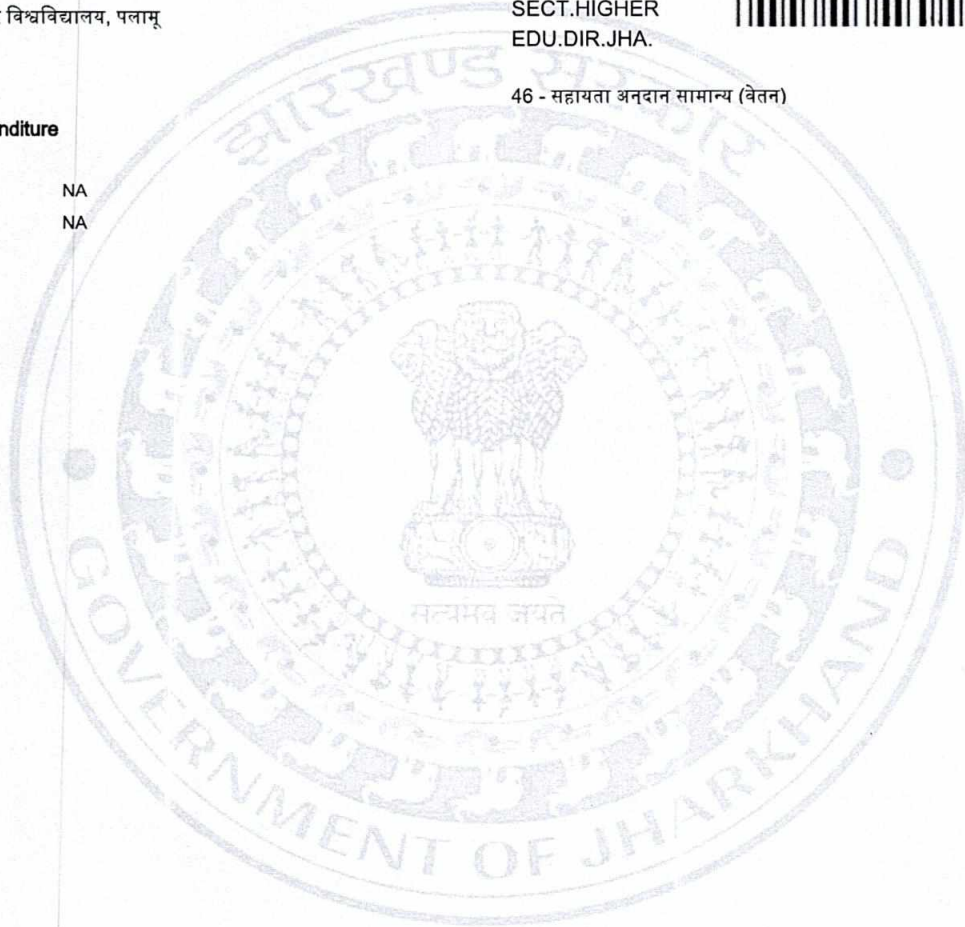
Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/ANU-01/2018/37/BUDGET

दिनांक - 18-Apr-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 22020310210000646 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता 10 - नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure	11513	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 46 - सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	396,078,000.00 रुपये उनचालीस करोड साहठ लाख अठहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			



योग:

क्रमिक योग:

रुपये उनचालीस करोड साहठ लाख अठहत्तर हजार

396,078,000.00

(GARIMA SINGH)

DIRECTOR

1

पत्रांक :-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0) 38/945/

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 18/04/2023

विषय:-

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रू0 1,02,97,06,000=00 (एक अरब दो करोड़ संतानवे लाख छः हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 14/बजट दिनांक 17.04.2023 के आलोक में कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन एवं संविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रू0 1,02,97,06,000=00 (एक अरब दो करोड़ संतानवे लाख छः हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि से निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में अवर सचिव-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :- 2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालय को सहायता, 15-कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) विपत्र कोड-21S22020310215000646

4. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

5. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत चाईबासा कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

7. राशि की विमुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जा रही है -

(i) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(ii) विश्वविद्यालय नवांगीभूत महाविद्यालय के किसी ऐसे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से कार्य नहीं लेगा जिसका नाम अग्रवाल कमीशन अथवा एस0बी0सिन्हा कमीशन के प्रतिवेदन में सकारात्मक अनुशंसा के साथ नहीं है। अगर नियमित एवं अवैध रूप से किसी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से सेवा लिये जाने के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का भुगतान देय होता है तो इस अनियमित भुगतान का दायित्व विश्वविद्यालय के उपर होगा एवं विश्वविद्यालय से संबंधित पदाधिकारी/पदाधिकारियों के विरुद्ध झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम के संगत धाराओं के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

(iii) यदि कोई शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी अंगीभूत महाविद्यालय में प्रतिनियोजित है तो उनके वेतनादि का भुगतान उनके पैतृक महाविद्यालय से किया जायेगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा वेतन निर्धारण एवं प्रोन्नति हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियमन/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियमन/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा वेतन भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्रवाई की जायेगी।

(v) विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षक/पदाधिकारी/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को ही स्वीकृत राशि से भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम-341 एवं 342 के आलोक में महालेखाकार एवं विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें ताकि इसे महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा सके।

(vi) विश्वविद्यालय को स्पष्ट निदेश दिया जाता है कि वह वेतन मद की राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। राशि के विचलन होने पर संबंधित कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/वित्त परामर्शी की जबाबदेही होगी।

(vii) कोई विभाग/महाविद्यालय या संकाय में नामांकन एवं शिक्षण की दृष्टि से कोई भी पद अव्यवहार्य (Non viable) हो तो इसकी सूचना शीघ्र प्रशासी विभाग को दी जाए।

(viii) संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों हेतु स्वीकृत भत्तों का ही भुगतान किया जाय।

(ix) प्रत्येक माह के 1 तारीख को शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतनादि का भुगतान किया जाना विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. स्वीकृत्यादेश संख्या 14/बजट दिनांक 17.04.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,


(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0)...../रॉंची, दिनांक- 38/04/2023

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गरिमा सिंह)

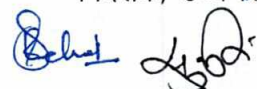
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0)...../रॉंची, दिनांक- 38/04/2023

प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।





आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

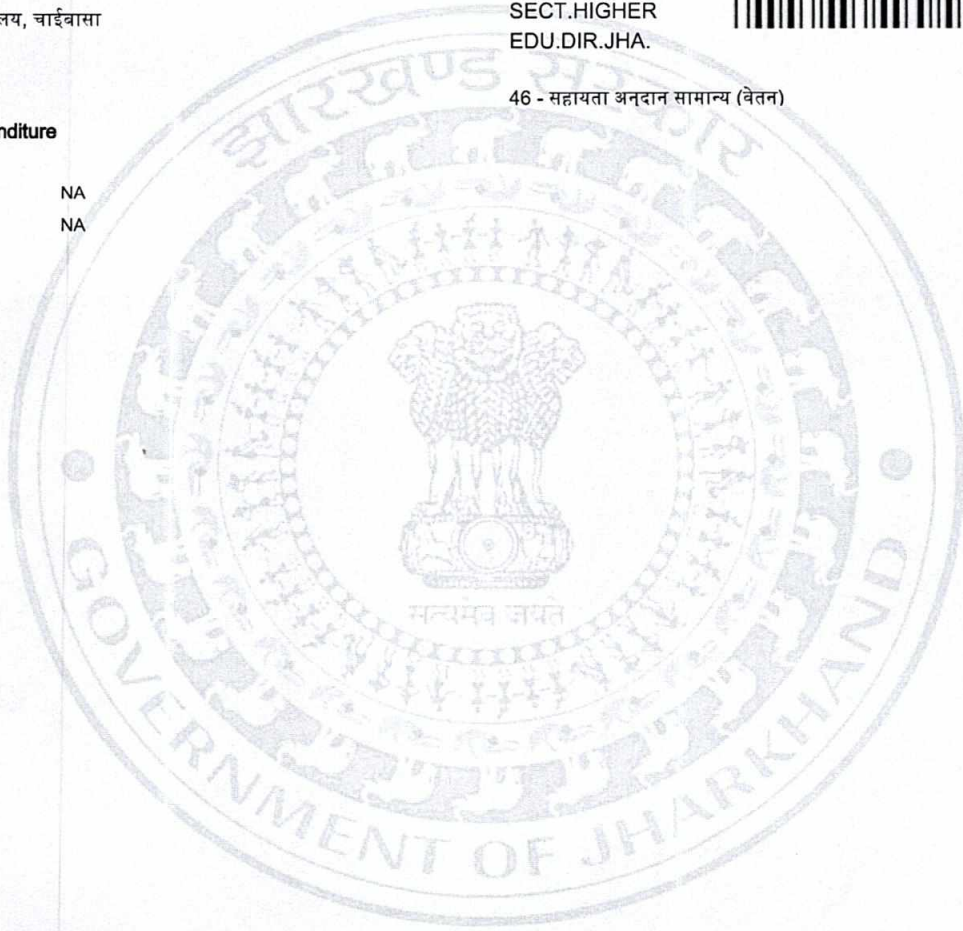
Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चात् वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/ANU-01/2018/38/BUDGET

दिनांक - 18-Apr-2023

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 22020310215000646 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता 15 - कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure	11517	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 46 - सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	1,029,706,000.00 रुपये एक अरब दो करोड सित्तानवे लाख छः हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			



योग:

रुपये एक अरब दो करोड सित्तानवे लाख छः हजार

1,029,706,000.00

क्रमिक योग:

(GARIMA SINGH)

DIRECTOR

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

गरिमा सिंह,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 18/04/2023

विषय:-

जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन एवं सविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रु0 9,14,67,000=00 (नौ करोड़ चौदह लाख सड़सठ हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 15/बजट दिनांक 17.04.2023 के आलोक में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर को वित्तीय वर्ष 2023-24 में वेतन एवं सविदा आधारित मानदेय एवं अन्य बकाया वेतन के लिये स्थापना व्यय के अन्तर्गत सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में रु0 9,14,67,000=00 (नौ करोड़ चौदह लाख सड़सठ हजार रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त आवंटित राशि से निकासी हेतु विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा जिसके आलोक में अवर सचिव-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2023-24 की निम्नांकित शीर्ष के अंतर्गत होगा :-
2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102-विश्वविद्यालय को सहायता, BN- जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर, विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान, 46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)
विपत्र कोड-21S220203102BN000646

4. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

5. जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के कुलसचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम- 339-344 के तहत जमशेदपुर कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

6. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

7. राशि की विमुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जा रही है -

(i) विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर ही महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।

(ii) विश्वविद्यालय नवांगीभूत महाविद्यालय के किसी ऐसे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से कार्य नहीं लेगा जिसका नाम अग्रवाल कमीशन अथवा एस0बी0सिन्हा कमीशन के प्रतिवेदन में सकारात्मक अनुशंसा के साथ नहीं है। अगर नियमित एवं अवैध रूप से किसी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी से सेवा लिये जाने के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का भुगतान देय होता है तो इस अनियमित भुगतान का दायित्व विश्वविद्यालय के उपर होगा एवं विश्वविद्यालय से संबंधित पदाधिकारी/पदाधिकारियों के विरुद्ध झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम के संगत धाराओं के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

(iii) यदि कोई शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी अंगीभूत महाविद्यालय में प्रतिनियोजित है तो उनके वेतनादि का भुगतान उनके पैतृक महाविद्यालय से किया जायेगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा वेतन निर्धारण एवं प्रोन्नति हेतु पूर्व निर्गत नियम/विनियमन/परिनियम तथा विभिन्न संकल्पों के आलोक में ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय। यदि भविष्य में किसी नियम/विनियमन/परिनियम अथवा संकल्प में अपेक्षित संशोधन की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा वेतन भुगतान के समय उक्त संशोधन के आलोक में ही कार्रवाई की जायेगी।

(v) विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत शिक्षक/पदाधिकारी/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को ही स्वीकृत राशि से भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम-341 एवं 342 के आलोक में महालेखाकार एवं विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें ताकि इसे महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा सके।

(vi) विश्वविद्यालय को स्पष्ट निदेश दिया जाता है कि वह वेतन मद की राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेगा। राशि के विचलन होने पर संबंधित कुलसचिव/वित्त पदाधिकारी/वित्त परामर्शी की जबाबदेही होगी।

(vii) कोई विभाग/महाविद्यालय या संकाय में नामांकन एवं शिक्षण की दृष्टि से कोई भी पद अव्यवहार्य (Non viable) हो तो इसकी सूचना शीघ्र प्रशासी विभाग को दी जाए।

(viii) संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों हेतु स्वीकृत भत्तों का ही भुगतान किया जाय।

(ix) प्रत्येक माह के 1 तारीख को शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतनादि का भुगतान किया जाना विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

10. स्वीकृतादेश संख्या 15/बजट दिनांक 17.04.2023 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0)...../रॉंची, दिनांक-...../2023

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/अनुदान-01/2018 (उ0शि0)...../रॉंची, दिनांक-...../2023

प्रतिलिपि -विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा-सह-नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(गरिमा सिंह)

निदेशक, उच्च शिक्षा।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

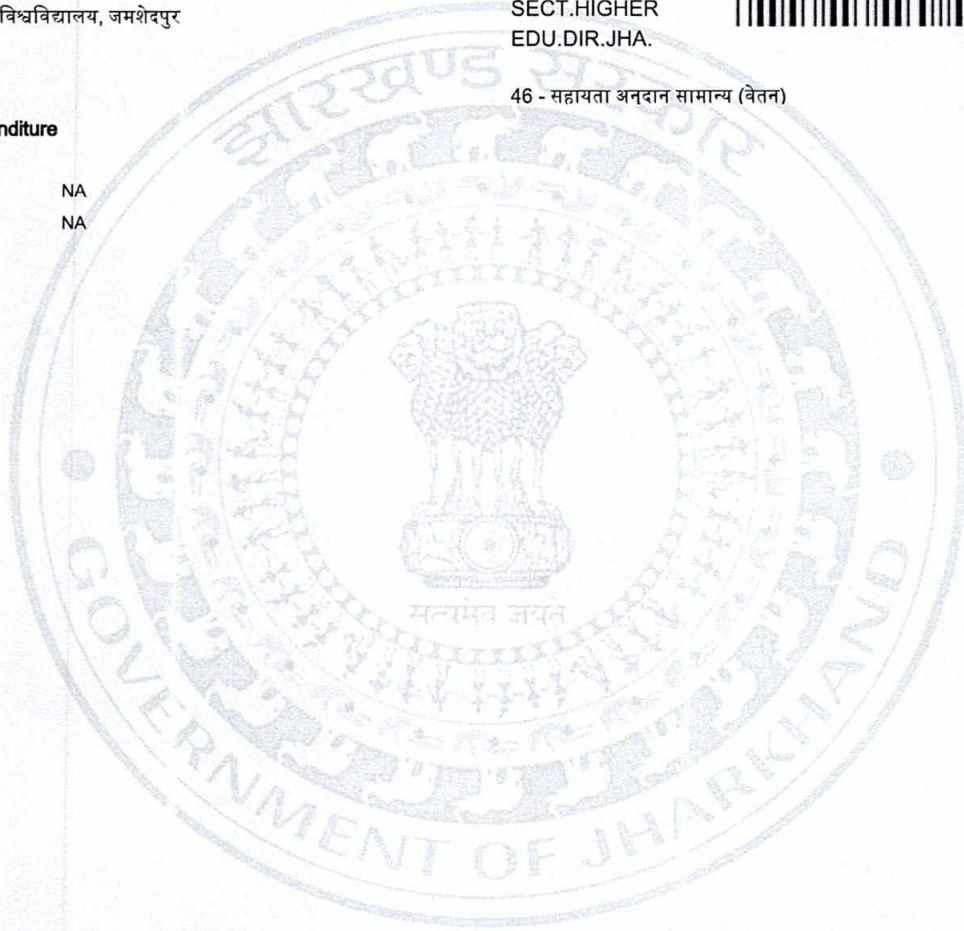
Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/ANU-01/2018/39/BUDGET

दिनांक - 18-Apr-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102BN000646 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता BN - जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	11527	DRNEDN046 SRI ARUN KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 46 - सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	91,467,000.00 रुपये नौ करोड चौदह लाख सड़सठ हजार



योग: रुपये नौ करोड चौदह लाख सड़सठ हजार

क्रमिक योग:

(GARIMA SINGH)

DIRECTOR

